कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय

विभागीय संरचना

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय में प्रदेश स्तर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी शीर्षस्थ अधिकारी हैं । मुख्यालय स्तर पर 1 संयुक्त संचालक कृषि , 1 कृषि यंत्री एवं 2 सहायक कृषि यंत्री के पद स्वीकृत हैं । इसके अलावा 6 संभागों – भोपाल , इन्दौर , ग्वालियर , जबलपुर , सागर एवं सतना में कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय एवं भोपाल में कृषि यंत्री (अनुसंधान) का भी कार्यालय है । इसी प्रकार 11 जिलों में –14 (भोपाल (2) , विदिशा , इटारसी , इन्दौर , खण्डवा , ग्वालियर , शिवपुरी , जबलपुर (2), सिवनी, सागर ,एवं सतना (2) में) सहायक कृषि यंत्री के कार्यालय हैं ।

भाग –1

पदोन्नतियों , नियुक्तियों , स्थानान्तरण एवं विभागीय जॉच की जानकारी वर्ष 2009–10 की स्थिति में –

(31 दिसंबर 2009 की स्थिति में)

कमांक	वितरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
1	पदोन्नति	–	–	29	33	62
2	विभागीय जॉच	01	–	01	02	04
3	नियुक्ति	–	–	–	24	24
4	स्थानान्तरण	–	–	11	–	11

न्यायालयीन प्रकरणों की कुल संख्या– 65

विभाग के दायित्व

इस संचालनालय का प्रमुख दायित्व कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण का विकास है । इस हेतु निम्न गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैं :–

- विभिन्न कृषि कार्यो हेतु बैल चलित, हस्त चलित तथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों को अनुदान पर वितरण।
- 40 अश्वशक्ति तक के ट्रेक्टर्स, 8 बी.एच.पी से अधिक के पावर टिलर्स तथा 12 से 14 फीट कटरबार के कम्बाइन हार्वेस्टर का अनुदान पर कृषकों को वितरण।
- उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कृषि कार्यो के लिये उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के खेतों में प्रदर्शन ।
- ट्रेक्टरों एवं कृषि यंत्रों के रख–रखाव एवं समुचित उपयोग हेतु कृषकों को प्रशिक्षण देना।
- शासन द्वारा निर्धारित किराया दरों पर कृषकों को विभिन्न कृषि कार्यो हेतु विभागीय मशीनें उपलब्ध कराना ।
- अनुसूचित जाति एंव जनजाति वर्ग के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी भूमि की गहरी जुताई पर अनुदान उपलब्ध कराना।
- कृषकों को पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी उपकरणों के क्रय पर अनुदान।

सामान्य जानकारी

इस संचालनालय के अधीन वर्तमान में 110 व्हील टाईप ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। ट्रेक्टर के साथ चलने वाले यंत्रों में, खेत की तैयारी के लिये 36 रिवर्सिबल प्लाऊ, 58 रोटावेटर एवं भूमि समतलीकरण करने हेतु 2 लेजर लैंड लेवलर उपलब्ध हैं। बोनी के लिये 18 जीरो टिलेज सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल एवं 6 रेज्ड बेड प्लांटर उपलब्ध हैं। धान रोपाई के लिये 6 राइस ट्रान्सप्लान्टर तथा धान की फसल कटाई एवं गहाई कार्य के लिये 1 कम्बाईन हार्वेस्टर उपलब्ध है। फसलों की कटाई एवं बंडल बंधाई कार्य हेतु 5 रीपर कम बाइन्डर भी उपलब्ध हैं। । मैक्रो मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत ''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन'' की योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदान पर बैल चलित, शक्ति चलित कृषि यंत्र, पावर टिलर, कम्बाईन हार्वेस्टर एवं छोटे ट्रेक्टर का वितरण तथा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट के कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिलों के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

भाग–2
बजट प्रावधान एवं उपलब्धियॉ

वर्ष 2009–10 में योजनाओं में बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार रहा :–

(राशि रूपये लाख में) व्यय 31 जनवरी 2010 तक

क्र.	योजना का नाम	बजट आवंटन	व्यय
1	मशीन ट्रेक्टर स्टेशन का सुदृढ़ीकरण	96.00	86.68
2	कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अन्तर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण	5.00	0.99
3	प्रशिक्षण , परीक्षण तथा प्रदर्शन के जरिये कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ करने की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	25.15	15.22
4	केन्द्र प्रवर्तित ''मैक्रो मैनेजमेंट–कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की योजना ''	571.84	282.89
5	हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी उपकरणों के क्रय पर अनुदान की योजना"	64.16	–
6	योजनांतर्गत गहरी जुताई हेतु हलधर योजना	100.00	–

भाग–3
राज्य योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना

राज्य योजनायें

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की उपलब्धियॉ

कमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि 2008–09	उपलब्धि 2009–10 (31 जनवरी 2010)
1	व्हील टाईप ट्रेक्टर्स से हल्की जुताई, बखरनी, बोनी आदि के कृषि कार्य	44930 घंटे	38555 घंटे

केन्द्रीय योजनायें

(1) केन्द्र पोषित मैक्रो मेनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की योजना की उपलब्धियॉ

(अनुदान पर वितरण) (इकाई संख्या में)

कमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि 2008–09	उपलब्धि 2009–10 (31 जनवरी 2010)
1	ट्रेक्टर एवं पावर टिलर	480	551
2	शक्तिचलित कृषि यंत्र	1816	1775
3	बैलचलित/हस्तचलित उननत कृषि यंत्र	55180	46610

2. प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण का प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ीकरण की उपलब्धि

वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 25.15 लाख के आवंटन के विरूद्व रू. 15.22 लाख का व्यय किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 (31 जनवरी 2010) की उपलब्धियॉ निम्नानुसार रही :–

(इकाई संख्या में)

कमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि 2008–09	उपलब्धि 2009–10
1	नवीन यंत्रों का कृषकों के खेतों में प्रदर्शन	1069	646

नवीन यंत्रों के कृषकों के खेतों में प्रदर्शन के अन्तर्गत कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किये जाते है। इस हेतु शत्–प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

जॉच समितियॉ/किये गये अध्ययन– वर्ष 2009–10 में किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ और न ही कोई अध्ययन किया गया ।

भाग–पॉच

संचालनालय के अधीन संचालित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

1. मैक्रो मैनेजमेन्ट ''कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की योजना''

यह केन्द्र पोषित योजना है , जिसमें केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा 90:10 है । इस योजना के अन्तर्गत ''कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन'' का कार्यक्रम इस संचालनालय द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें कम्बाइन हार्वेस्टर, 40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रेक्टर , 8 बी.एच.पी. से अधिक के पावर टिलर , शक्तिचलित एवं बैलचलित/हस्तचलित उन्नत कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है।

2. प्रशिक्षण,परीक्षण तथा प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण का प्रोत्साहन तथा सुदृढ़ीकरण की उपलब्धि :–

इस योजना के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों के कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं । इस हेतु शत–प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों के खेतों में नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। इन प्रदर्शनों के निम्न परिणाम् रहे :–

I. नवीन विकसित शक्तिचलित उन्नत कृषि मशीनरी के प्रदर्शन से कृषकों में इनके उपयोग हेतु जागरुकता बढ़ी है।

II. कृषि के एक फसली क्षेत्र को दो फसली क्षेत्र में परिवर्तित करने में रोटावेटर एवं जीरो टिलेज सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल काफी उपयोगी रहे हैं ।

III. छोटी जोत के कृषकों में कम गहराई से पानी खींचने हेतु लो–लिफ्ट पम्प उपयोगी सिद्ध हो रहा है ।

IV. आधुनिक कृषि मशीने जैसे– रीपर कम बाइन्डर, कम्बाईन हार्वेस्टर, रेज्ड बेड प्लांटर, रोटावेटर आदि के परिणामों से कृषकगण प्रभावित हुये हैं।

V. कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के बाद गेहूँ के डंठल खेत में ही कृषकों द्वारा जला दिये जाने से भूसे का नुकसान तो होता ही है साथ ही साथ खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। इस परंपरा को दूर करने व कृषकों को भूसे का लाभ दिलाने हेतु स्ट्रा–रीपर के प्रदर्शन किये गये।

VI. कतार में खाद और बीज को अलग–अलग बोने हेतु विभाग द्वारा 3 कतारी बैलचलित सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल के प्रदर्शन किये गये जिससे छोटे किसान कतार में बोनी की पद्धति को अपना सकें । यह यंत्र प्रदेश के कृषकों में लोकप्रिय हो रहा है।

3. पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी एण्ड मैंनेजमेंट

यह केन्द्र क्षेत्रीय योजना है। योजना का उद्देश्य कृषकों को पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी उपकरणों के उपयोग के लिये प्रोत्साहित करना है जिससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके कृषकों को उपज का अधिक मूल्य दिलाया जा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को विभिन्न प्रकार के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी उपकरणों के क्रय पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत 2.00 लाख तक के पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नॉलाजी/उपकरणों पर 40 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी उपकरणों के प्रदर्शन एवं कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्रावधान है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ''हलधर योजना''

छोटे एवं कमजोर कृषकों के खेतो की उत्पादकता बढ़ाने तथा वर्षा जल संग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से गहरी जुताई की एक विशेष **''हलधर योजना''** वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ की गई है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सभी कृषक तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु पात्र है।। योजना अन्तर्गत गहरी जुताई की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1000/– प्रति हैक्टर का अनुदान कृषक को दिया जाता है। एक कृषक 1 हेक्टेयर तक के खेत की गहरी जुताई योजनान्तर्गत करवा सकता है। वर्ष 2009–10 हेतु 10000 हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई का लक्ष्य लिया गया है।

भाग–छः

विभागाध्यक्ष द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

उन्नत कृषि यंत्रों को कृषकों में प्रचलित कराने हेतु कृषकों को दी जाने वाली सुविधा संबंधी जानकारी पम्पलेट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

वर्ष 2009–10 की उल्लेखनीय उपलब्धियॉ

1. वर्ष 2009–10 (31 जनवरी 2010) में प्रदेश में 48936 उन्नत कृषि यंत्र/उपकरण अनुदान पर कृषकों को प्रदाय किये गये ।
2. कृषि यंत्रों में लकड़ी के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे यंत्रों को अनुदान हेतु शामिल किया गया जिनमें लकड़ी के स्थान पर इस्पात का अधिक उपयोग किया गया है।
3. कृषि के लिये ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 40 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर्स तथा 8 बी.एच.पी. से अधिक के पावर टिलर्स के क्रय पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।
4. रबी एवं खरीफ की फसलों की बोनी में सीड ड्रिल के स्थान पर सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल को प्रोत्साहित किया गया।